रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082024-256584
CG-DL-E-23082024-256584

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476]	नई दिल्ली शुक्रवार, अगस्त 23, 2024/भाद्र 1, 1946
No. 476]	NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2024/BHADRA 1, 1946

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2024

ड्रोन (संशोधन) नियमावली, 2024

सा.का.नि. 515 (अ).— जबकि माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से ड्रोनों के प्रचालन और मरम्मत के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए "ड्रोन की उड़ान" पहल की घोषणा की है;

और जबकि उद्योग और सरकार ने देखा कि उभरते ड्रोन स्वामियों के पास पासपोर्ट नहीं है;

और जबकि ड्रोन नियमावली, 2021 में अपेक्षित है कि पंजीकरण (फॉर्म डी-2) और पंजीकरण समाप्त करने अथवा हस्तांतरण (फॉर्म डी-3) के लिए इच्छुक व्यक्ति के पास भारतीय पासपोर्ट हो;

और जबकि गृह मंत्रालय (आंतरिक सुरक्षा), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और विभिन्न हितधारकों के साथ विधिवत परामर्श के पश्चात, जिन्होंने ऐसी अपेक्षा से छूट दिये जाने पर सहमति व्यक्त की थी, क्योंकि इससे व्यापार करने की सुगमता में मदद मिलेगी, ड्रोन संबंधी अवसर आम जनों तक पहुंचेंगे और जन सेवा प्रदान करने में ड्रोन अनुप्रयोगों के प्रवेश में वृद्धि होगी;

और जबकि लोक हित में, केंद्रीय सरकार ने वायुयान अधिनियम, 1934 के खण्ड 14 के परंतुक के तहत यथा-अपेक्षित पूर्व प्रकाशन की शर्त को समाप्त कर दिया है

अब इसलिए, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के खण्ड 5, खण्ड 10 के उप-खण्ड (2) और खण्ड 10क, 10ख और 12क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार ड्रोन नियमावली, 2021 को आगे और संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:—

(1) इन नियमों का नाम ड्रोन (संशोधन) नियमावली, 2024 है।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ड्रोन नियमावली, 2021 (जिसे यहाँ आगे प्रधान नियमावली कहा जाएगा) के फॉर्म डी-2 में, व्यक्तिगत विवरण (यदि लागू हो) से संबंधित भाग-क के तहत, क्रम संख्या 5 के सामने वाली प्रविष्टि को निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

"5. भारतीय पासपोर्ट नंबर (व्यक्ति के लिए) अथवा पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण अर्थात, सरकार द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस"

3. प्रधान नियमावली, 2021 के फॉर्म डी-3 में, हस्तांतरणकर्ता अथवा स्वामी के विवरण से संबंधित भाग-ख के तहत, क्रम संख्या 6 के सामने वाली प्रविष्टि को निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

"6. भारतीय पासपोर्ट नंबर (व्यक्ति के लिए) अथवा पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण अर्थात, सरकार द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस"

4. प्रधान नियमावली, 2021 के फॉर्म डी-3 में, हस्तांतरिती का विवरण (यदि लागू हो) से संबंधित भाग-ग में व्यक्तिगत विवरण (यदि लागू हो) से संबंधित उप-भाग के तहत, क्रम संख्या 18 के सामने वाली प्रविष्टि को निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

"18. भारतीय पासपोर्ट नंबर (व्यक्ति के लिए) अथवा पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण अर्थात, सरकार द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस"।

[फ़ा. सं. एवी-29017/37/2021-एसडीआईटी-एमओसीए]
पीयूष श्रीवास्तव, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

पाद टिप्पणी.: यह प्रधान नियम, दिनांक 25 अगस्त, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 589(अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2024

Drone (Amendment) Rules, 2024

G.S.R 515(E).—Whereas the Hon'ble Prime Minister from the red fort announced "Drone Ki Udaan"- an initiative to provide financial support and training to women's self-help group for operating and repairing drones;

And whereas the industry and government saw that the emerging drone owners do not own a passport;

And whereas the Drone Rules, 2021 require an individual to possess an Indian Passport for registration (Form D-2) and de-registration or transfer (Form D-3);

And whereas after due consultation with the Ministry of Home Affairs (Internal Security), the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and various stakeholders who conveyed their consent on dispensation of such requirement as it would contribute to ease of doing business, democratise the opportunity of drones and increase in penetration of drone applications in public service delivery;

And whereas in Public Interest, the Central Government has been dispensed with the Condition of previous publication as required under the provisio to Section 14 of the Aircraft Act, 1934

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 5, sub-section (2) of section 10 and sections 10A, 10B and 12A of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Drone Rules, 2021, namely:—

(1) These rules may be called the Drone (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Form D-2 to the Drone Rules, 2021 (hereinafter referred to as Principal Rules), under Part A relating to details of individual (if applicable), for the entry against serial number 5, the following entries shall be substituted, namely :—

"5. the Indian passport number (for individual) or proof of identity and proof of address that is, a Voter's ID card, Ration Card or Driving License issued by the Government"

3. In Form D-3 to the Principal Rules, 2021, under Part B relating to Transferor or Owner details, for the entry against serial number 6, the following entries shall be substituted, namely :—

"6. the Indian passport number (for individual) or proof of identity and proof of address that is, a Voter's ID card, Ration Card or Driving License issued by the Government"

4. In Form D-3 to the Principal Rules, 2021, under Part C relating to Transferee details (if applicable), sub-part relating to Details of individual (if applicable) , for the entry against serial number 18, the following entries shall be substituted, namely :—

"18. Indian passport number (for individual) or proof of identity and proof of address that is, a Voter's ID card, Ration Card or Driving License issued by the Government".

[F. No. AV-29017/37/2021-SDIT-MOCA]

PIYUSH SRIVASTAVA, Senior Economic Adviser

Foot Note.: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 589(E), dated the 25th August, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA